राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांकःस.24(3)(6)पदो./अभि/22/8980-90 जयपुर,दिनांकः 29/09/2023

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक के पद की वर्ष 2022-23 के विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 27.09.2023 को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न मंत्रालयिक कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैं:-

क्रं.सं.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	चयन वर्ष जिस पर चयन की सिफारिश की गई।	चयन पर वरिष्ठता जहां निर्धारित की गई
1.	श्री भावेश पुत्र श्री राजेन्द्र चौबीसा	2022-23	श्री वेलाराम के ऊपर रहेगी।

उक्त पदोन्नति वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई शेष अनुशंषाओं को यथावत रखा गया।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित कार्मिक का चयन वर्ष 2022-23 में किया गया हैं अतः इनका वेतन पदोन्नति संबधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चातवर्ती वर्षो के लिए वार्षिक वेतन वृद्वि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतन वृद्वियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्वियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिको के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

01.निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02.अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03.उप/सहायक निदेशक अभियोजन..
04.संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ/वरिष्ठ) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05.सम्बन्धित कार्मिक..द्वाराः- कार्यालयध्यक्ष।
06.आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2023.09.29 15:21:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4810211